न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 69/2018 राजस्व अपील

1. बिरजू उर्फ बृजू पुत्र रामहेत जाति गुर्जर निवासी ग्राम डिगो तह. लालसोट जिला दौसाा

अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिए सहायक वन अधिकारी वन संरक्षक दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय सहायक वन संरक्षक दौसा दिनांक 08.08.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम बिरजू उर्फ बृजू प्रकरण सं. 57/2017

उपस्थिति : श्री महेश चन्द शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उप0।

—: निर्णय :— दिनांक: 10.09.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी लालसोट के प्रतिनिधि श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वन पाल नाका बिनोरी ने अपीलान्ट के विरूद्व सहायक वन संरक्षक दौसा के समक्ष एक इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया कि बिरजू उर्फ बृजू पुत्र रामहेत जाति गुर्जर निवासी ग्राम डिगो तह. लालसोट जिला दौसाा ने वन खण्ड गोलमेन मौजा ग्राम डिगो के खसरा नं. 1038/410 में रकबा 1.04 है0 वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर खेती कर रखी है। वनपाल की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 1100 रु शास्ति कायम करने के साथ ही दो माह के सिविल कारावास की सजा से भी दिनांक 08.08.2018 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 08.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा वन भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है। प्रश्नगत वन विभाग की भूमि जिसपर वन विभाग अपीलान्ट का अतिक्रमण बताता है वह भूमि और अपीलान्ट को जो भूमि आवंटन हुई है वह पास–पास ही है। अधीनस्थ न्यायालय ने न कोई मौका देखा न ही मौके पर जाकर भूमि का सीमाज्ञान किया और न ही अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नही दिया। यदि मौक पर अपीलान्ट का किसी भी वन विभाग की भूमि पर कब्जा पाया जावे तो अपीलान्ट उस पर से अपना कब्जा छोडने को तैयार है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा वन खण्ड गोलमेन मौजा ग्राम डिगो के खसरा नं. 1038/410 रकबा 1.04 है0 वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर खेती कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 08.08.2018 के द्वारा अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 1100 रु शास्ति कायम करने के साथ ही दो माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पूर्व में भी दिनांक 07.10.14 को अपीलान्ट द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय कर वन भूमि से बेदखल कर दिया गया था।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी लालसोट की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपीलान्ट का प्रश्नगत वन भूमि पर अतिकमण नही होने तथा यदि मौक पर सीमाज्ञान कराया जाने पर अपीलान्ट का किसी भी वन विभाग की भूमि पर कब्जा पाया जावे तो अपीलान्ट उस पर से अपना कब्जा छोडने को तैयार होना व्यक्त किया गया है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रकरण संख्या : 69/2018 राजस्व अपील

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा का प्रश्नगत निर्णय दिनांक 08.08.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर अपीलान्ट की उपस्थिति मे प्रश्नगत भूमि का निरीक्षण एवं सीमाज्ञान कराया जाकर तदानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित कर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा